न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस)

मदनसिंह

बनाम

सरकार इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री नाहरसिंह सोलंकी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1
3. श्री दीपसिंह भाटी,अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 2 व 3

आदेश

दिनांक 09 मई 2025

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या ए/126/2023 अनवान मदनसिंह बनाम सरकार इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 18 जनवरी 2024 के विरूद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 18 मार्च 2024 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 104 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 105 रकबा 32 बीघा 09 बिस्वा ग्राम बेरू वादी/अपीलांट की पुश्तैनी भूमि है जो वादी के पिता अमरसिंह व दादा शेरसिंह के नाम की खुदकाश्त भूमि दर्ज रही है। वादी के पूर्वज ग्राम बैरू के जागीरदार थे एवं वक्त सैटलमेंट से तमाम भूमियो के साथ उक्त भूमि की किस्म गलत तरीके से सिवाय चक दर्ज कर दी गई, जबकि उक्त भूमि के पास अन्य खसरा की भूमियों को वादी/अपीलांट्स के पूर्वजों की खातेदारी दर्ज रखा गया है। वादग्रस्त भूमि खसरा सख्या 104 व 105 का रकबा बिना किसी आधार के मौके की जांच किए बिना ही राजस्व रेकार्ड में खसरा संख्या 104 गैर मुमकिन मगरा व खसरा संख्या 105 गैर मुमकिन गड्ढा राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर राजकीय भूमि दर्ज कर दी गई। वादी ने वादग्रस्त आराजीयात को अपने नाम खातेदारी अधिकारो

की घोषणा करवाने का कानूनी अधिकारी है एवं मालिक काबिज है एवं वक्त सैटलमेंट से पूर्व आज तक उक्त भूमि पर लगातार कब्जा काश्त वादी एवं उसके पूर्वजो का निरंतर चला आ रहा है तथा राजस्व रेकार्ड खतौनी बंदोबस्त गाम बैरू तहसील व जिला जोधपुर संवत 2011 से 2030 तक अमरसिंह वल्द शेरसिंह कौम राजपूत भाटी सा देह जागीरदार के रूप में दर्ज है। वादी/अपीलांट की ओर से प्रस्तुत खातेदारी घोषणा का वाद विचारण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। वादी/अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटी एक्ट का पेश कर निवेदन किया कि उक्त वादपत्र के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाई रखी जावे परंतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजात का अध्ययन एवं परीक्षण किये बिना तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्धारकं तीनो बिंदूओ की व्याख्या किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो अपास्त किए जाने योग्य है। रेस्पोडेंट्स अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांट को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने पर आमादा है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में वाद के विचारण तक वादग्रस्त आराजी को संरक्षित किया जाना न्याय हित में नितांत आवश्यक है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 12 जुलाई 2024 को निरस्त किया जावे एवं वाद के लम्बित रहने तक वादग्रस्त आराजी के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति का आदेश फरमावे एवं रेस्पोडेंट्स को पाबंद फरमाया जावे कि वे बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अपीलांट के विरूद्ध बेखदली की कार्यवाही न करे।

जवाब में रेस्पो. अधिवक्तागण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी राजकीय भूमि है जो वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम से दर्ज है। कानूनन प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर

	उपलब्ध खतौनी बंदोबस्त संवतः 2011-2030 ग्राम बेरू तहसील जोधपुर के मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 104 एवं 105 भूमि की किस्म क्रमश गैर मुमकिन खडा एवं गैर मुमकिन मगरा दर्ज होकर अपीलांट के पिता अमरसिंह वल्द शेरसिंह कौम राजपुत भाटी सा. देह जागीरदार की खातेदारी में दर्ज रही है। वर्तमान में वादग्रस्त आराजी राजकीय खाते में दर्ज है तथा नामांतरकरण संख्या 1130 दिनांक 29.06.2012 के जरिये जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज होना प्रकट होती है। यह उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त आराजी की किस्म कृषि भूमि न होकर गैर मुमकिन किस्म दर्ज है जो काश्त योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18 जनवरी 2024 यथावत रखा जाता है। साथ ही रेस्पोडेंट्स को हिदायत है कि वे बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अपीलांट के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही नहीं करे। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। **(ओमप्रकाश विश्नोई)** **राजस्व अपील प्राधिकारी** **जोधपुर**	